न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1865/2004/करौली

रमणलाल पुत्र गूजरमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर हाल करौली
2. गजाधर पुत्र दामोदरलाल
3. छोटेलाल पुत्र गूजरमल
   –जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमति ज्योति पारीक, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री शैलेन्द्र राणा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ।

निर्णय

दिनांकः– 21–01–2019

द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रथम अपील सं. 74/2001 में दिनांक 15–11–2003 को पारित निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छोटेलाल ने राजस्थान राज्य, रमणलाल व गजाधर के खिलाफ एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थाई व्यादेश बाबत पेश किया था। वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 3/वादी ने मुख्य रूप से यह अभिवाक् किया था कि उसकी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि साबिका खसरा संख्या 620 रकबा

3 बीघा ग्राम खेडा में अवस्थित है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण ने उसकी उक्त भूमि के तीन टुकडे करके नवीन खसरा संख्या 752, 754, 755 रकबा 0–74 हेक्टर कायम किए तथा 0–01 हैक्टर रकबा कम कर दिया है एवं नवीन खसरा संख्या 752 के 3/69 भाग की खातेदारी प्रतिवादी रमणलाल के हक में अवैध रूप से अंकित की है। उसने आगे यह भी अभिवाक् किया था कि भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के साबिक खसरा संख्या 620 के उत्तरी पश्चिमी स्थित चाह नवीन खसरा संख्या 754 से प्रतिवादी संख्या 2 रमनलाल की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 741 से 743 को सिंचित होना राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज किया है। इसके अलावा वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा संख्या 621 तथा प्रतिवादी गजाधर की साबिक खातेदारी की भूमि साबिक खसरा संख्या 622 को मिलाकर नवीन खसरा संख्या 748 वादी तथा प्रतिवादी गजाधर की सम्मिलित खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज किया है। इसलिए वादी ने दावा में चाहे गये अनुतोष बाबत डिक्री पारित करने का निवेदन किया था। प्रतिवादी गजाधर ने जवाबदावा पेश कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया था। प्रतिवादी रमनलाल ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों से इन्कारी की थी व वाद खारिज करने का निवेदन किया था। विचारण न्यायालय ने कुल 8 तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध की एवं वादी का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया थाः–

> **"अतः दावा वादी आंशिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 743 रकबा 0–58 हैक्टर वाके ग्राम खेडा में से 0–08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में से कम की जाकर उसका नया नम्बर कायम कर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी के खसरा संख्या 741, 743 के आगे जमाबंदी के कॉलम संख्या 8 दर्ज सिंचाई का साधन खसरा संख्या 754 को हजफ करने के आदेश दिये जाते है।"**

दिनांक 13–2–2001 को पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट रमणलाल ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की थी, जिसे दिनांक 15–11–2003 को खारिज किया गया है। अतः उसके प्रतिवादी रमणलाल द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्रियां अवैध है। पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि वादी को पहले से ही खसरा संख्या 442/1278 में दो एयर रकबा तथा खसरा संख्या 742/1270 में 12 एयर रकबा कुल 14 एयर रकबा ज्यादा मिला हुआ है। जिस समय भू प्रबन्ध विभाग के अधिकरियों ने सेटलमेन्ट के समय कोई गलती की थी, उसी समय वादी को भू प्रबन्ध आयुक्त के यहां अपील करनी चाहिए थी। उसका यह दावा पोषणीय नहीं था। वादी ने वाद में सेटलमेन्ट की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वाद पेश किया था। विचारण न्यायालय ने बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित किए अन्तिम डिक्री पारित करके भी अवैधानिकता की है। विचारण न्यायालय की डिक्री से यह पता नहीं चलता है कि किस साइड के हिस्से को कम किया जावे या बढाया जावें। तहसीलदार द्वारा कोई प्लान पेश नहीं किया गया है। बिना प्लान के डिक्री की पालना सम्भव नहीं है। सेटलमेन्ट के अधिकारियों को रकबा कम करने का अधिकार होता है। पांच एयर तक के रकबा बाबत चाराजोही नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना कम रकबा तो स्ट्रिप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में आता है। वाद दायरी से पूर्व वादी ने राज्य सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया था। इसलिए इसी कारण उसका दावा खारिज योग्य था। दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध हो जाने के बाद वादी ने दरख्वास्त पेश कर वाद वाद पत्र में यह संशोधन चाहा था कि वाद पत्र की पंक्ति संख्या आठ में खसरा संख्या 446 के स्थान पर 746 अंकित किया जाए। यह संशोधन मंजूर होने के बाद तनकी तरमीम होनी चाहिए थी तथा दोनों पक्षों को साक्ष्य का पुनः अवसर दिया जाना चाहिए था। जबकि विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। अतः निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर दोनों आक्षेपित निर्णयों व डिक्रियों को अपास्त किया जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3/वादी ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनका कहना है कि दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। अतः अपील खारिज की जाए।

6. उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित आठ तनकीयात कायम की थी। इनमें से पांच तनकीयात वादी के विरूद्ध व दो तनकीयात वादी के पक्ष में तय की गई है। उभयपक्ष की साक्ष्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते हुए विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाले है कि वादी को साबिक के मुकाबले नवीन खसरा संख्या 746 में से 8 एयर रकबा कम दिया गया है तथा यह रकबा प्रतिवादी/अपीलान्ट रमनलाल के खसरा संख्या 743 में बढा दिया गया है। विचारण न्यायालय ने यह तथ्य भी साबित पाया है कि खसरा संख्या 754 से अपीलांट/प्रतिवादी रमनलाल के खेतों की सिंचाई नहीं होती है, इसलिए वादी का वाद उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष निकालने में किसी प्रकार की साक्ष्य की अनदेखी नहीं की है। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को विचारित करके अपना निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की है। इसलिए तथ्यों संबंधी दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती है, जिनमें किसी प्रकार की Illegality या Perversity नहीं है। इस अपील में जिन प्रश्नों को उठाया गया है, वह सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भी उठाये गये थे तथा उनका समाधान आक्षेपित निर्णयों में किया गया है। इसलिए इस अपील में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है। अपील काबिले खारिज है।

8. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य